

धारा-104. कोई भी व्यक्ति जो धारा 8 की उपधारा (2) या धारा 106 (धारा 8 अथवा धारा 106 के उल्लंघन के लिए शास्ति) के उपबन्धों का उल्लंघन करे, अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें दोषसिद्ध के पश्चात अपराध जारी रखा जाये, दस रूपया होगा।